

वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के अतः वादी का वाद लिखा किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो करवे रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया देवे जो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के एक हिस्सा की भूमि को जिस राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया पाने के अधिकारी है।

युक्त है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के एक हिस्सा की भूमि है अपने एक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा है जिनकी शादी हो चुकी है जिनकी परिवार के मौजुद व्यक्तियों के सामने वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 जो वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 जो वादी की बहन अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 10 है जो वाद भूमि के एकदार है जिस विरस्तन से प्राप्त करने के वादी के पिता कुमार का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं कुमार पुत्र मानाराम के नाम से दर्ज है।

कुल 7.5880 हेक्टर भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता संख्या 32 की कुल 5.9684 हेक्टर में से 1/5 हिस्सा ठाणी लेधान के खाता संख्या 180/178 खाता संख्या 207 की कुल 8.4216 हेक्टर में से 1/5 हिस्सा, रोही मौजा बेरासर के खाता रोही मौजा गगाई के खाता संख्या 27/25 की कुल 2.7440 हेक्टर रोही मौजा सहजासर के की रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 71/55 की कुल 8.1060 हेक्टर में से 1/5 हिस्सा, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आदेश का पेश किया गया

सक्षम में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जस्ये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत

निर्णय दिनांक :- 03/03/2020
 प्रथम पक्ष

उपरिष्ठतः श्री रविन्द कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

- प्रतिवादीनाम
1. राजस्थान सरकार जस्ये तहसील राजस्व बावतसर।
 2. राजस्थान सरकार जस्ये तहसीलदार राजस्व बावतसर।
 3. राजस्थान सरकार जस्ये तहसीलदार राजस्व बावतसर।
 4. राजस्थान सरकार जस्ये तहसीलदार राजस्व बावतसर।
 5. राजस्थान सरकार जस्ये तहसीलदार राजस्व बावतसर।
 6. राजस्थान सरकार जस्ये तहसीलदार राजस्व बावतसर।
 7. राजस्थान सरकार जस्ये तहसीलदार राजस्व बावतसर।
 8. राजस्थान सरकार जस्ये तहसीलदार राजस्व बावतसर।
 9. राजस्थान सरकार जस्ये तहसीलदार राजस्व बावतसर।
 10. राजस्थान सरकार जस्ये तहसीलदार राजस्व बावतसर।
 11. राजस्थान सरकार जस्ये तहसीलदार राजस्व बावतसर।
 12. राजस्थान सरकार जस्ये तहसीलदार राजस्व बावतसर।
 13. राजस्थान सरकार जस्ये तहसीलदार राजस्व बावतसर।

बनाम

वादी

1. बनवारीलाल पुत्र कुमाराम जति ब्रह्मन् निवासी जोजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

अनगत :-

वाद सं. : 686 सन 2019

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्री श्वेता कौसर (आर०ए०ए०एस०)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपसहाय्य अधिकारी (राजस्व) नोहर

खातेदार काइतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद हिकी करमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दवा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने निवेदन किया की वाद मुँसि उसके पिता इंगरराम पुत्र मानाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कर्तुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है प्रतिवादी संख्या 5 ता 10, जो वादी की माता/बहन ने निवेदन किया की उन्होंने अपने एक हिस्सा की मुँसि को अपने भाईयाँ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद मुँसि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाला दवा पेश किया गया। इकबाल दवा तस्दीक किया जाकर शामिल मिलल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 परेकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सगुनों के आधार पर राज्य हकी को सुरक्षित रखते हुए निरारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिलल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा जोजारास के खाता संख्या 71/55 की कुल 8.1060हैव में से 1/5 हिस्सा, रोही मौजा मंगोई के खाता संख्या 27/25 की कुल 2.7440हैव व रोही मौजा सहजारास के खाता संख्या 207 की कुल 8.4216हैव में से 1/5 हिस्सा, रोही मौजा बेरास के खाता संख्या 32 की कुल 5.9684हैव में से 1/5 हिस्सा शोणी लेधान के खाता संख्या 180/178 के कुल 7.5880हैव मुँसि में से 1/5 हिस्सा मुँसि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता इंगरराम के नाम से दर्ज है।

वादी के पिता इंगरराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 है जो वाद मुँसि के इकदार है जिस वारिसान से प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 5 जो वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 जो वादी की बहन है जिनकी शादी हो चुकी है जिनसे परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने वाद मुँसि में अपने एक हिस्सा की मुँसि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद मुँसि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के एक हिस्सा की मुँसि है जिस राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के पक्ष में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के समर्थन में न्यायाधिक दस्तावेज आर.बी.जे. 1998 पृज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पृज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काइतकार आपसी सहमति / राजीनामा के आधार पर अपने हकी को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद हिकी करमाया जावे। परेकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादाजोई/पूर्वक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सगुनों के आधार पर राज्यहकी को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरारण करमाये।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जोजारास के खाता संख्या 71/55 की कुल 8.1060हैव में से 1/5 हिस्सा, रोही मौजा मंगोई के खाता संख्या 27/25 की कुल 2.7440हैव व रोही मौजा सहजारास के खाता संख्या 207 की कुल 8.4216हैव में से 1/5 हिस्सा, रोही मौजा बेरास के खाता संख्या 32 की कुल 5.9684हैव में से 1/5 हिस्सा शोणी लेधान के खाता संख्या



सूनाया गया ।

निर्णय आज दिनांक 3/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में

नम्बर से कम की जाकर बाद तत्पश्चात् तत्कालीन जाबाना दाखिल दफतर हो ।

वहन करने। इसी आशय की पेशा लिखी जाये की जाकर शान्ति मिशन की गई पत्रावली

ती बाद रहनमुवत राजस्व रिपोर्ट में अंकन किया जावे अथवा बाद उभयपक्ष अपना अपना

के सलान 5000/- एक स्तम्भ तत्कालीन शान्ति किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो

धीषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिपोर्ट में अंकन करने हेतु इजराय प्रार्थना पत्र

कलमजन किया जाकर बादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिष के खातेदार काश्तकार

वर्तमान राजस्व रिपोर्ट में बादी के पिता हुगराम के नाम से दर्ज है से हुगराम का नाम

श्री लेखान के खाता संख्या 180/178 के कुल 7.5880 हैव भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि

हिस्सा, रोही मौजा बेरासर के खाता संख्या 32 की कुल 5.9684 हैव में से 1/5 हिस्सा

7440 हैव व रोही मौजा सहजसर के खाता संख्या 207 की कुल 8.4216 हैव में से 1/5

कुल 8.1060 हैव में से 1/5 हिस्सा, रोही मौजा गामेई के खाता संख्या 27/25 की कुल 2.

किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोजसर के खाता संख्या 71/55 की

साक्ष्य सर्तु एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर बाद बादी साबित होने के कारण लिखी

करने एवं धोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं बादी के द्वारा प्रस्तुत

अतः बादी के बादी का प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा बादी के बाद को स्वीकार

न्यायवित है ।

किये जाने के कारण राजस्व रिपोर्टों की सुरक्षा के मध्यनजर स्तम्भ ड्यूटी कायम की जानी

होने के कारण काबिल लिखी है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने अपने हकों का त्याग

सर्तु एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों को प्रकरण पर चर्चा होने के आधार पर बाद बादी साबित

बादी के बाद को प्रतिवादी गण के द्वारा स्वीकार करने एवं बादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य

तत्पश्चात् किया जाकर शान्ति मिशन किया जा चुका है ।

का ऐजराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है जो

हिस्सा की भूमि है जिसके उनके नाम से राजस्व रिपोर्ट में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार

पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये बाद भूमि बादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक

किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग बादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के

ता 10 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर बादी के बाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन

अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है बादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5,

बादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 जो बादी की माता/बहने है ने

बहिष दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

विरस्तन से प्राप्त करने के अधिकारी है अर्थात् बाद भूमि बादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10

हुगराम पुत्र मानराम के देहान्त होने पर उसके नाम से दर्ज भूमि उनके वारिसान

पत्र से पूर्णतया साबित है ।

कानूनी वारिसान बादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो प्रस्तुत मृत्यु एवं वारिस प्रमाण

बादी के पिता हुगराम पुत्र मानराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व

के पिता हुगराम के नाम से दर्ज है ।

180/178 के कुल 7.5880 हैव भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिपोर्ट में बादी

की गई।

पर्वी डिप्टी आज दिनांक 3/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी अपना अपना बहाना करे।

बैंक के बहाने ही तो बाद बहानेमूलक राजस्थान डिप्टी में अंकन किया जावे अथवा बाद उभयपक्ष इंजिनियर प्राधान्य पत्र के सलान 5000/- - रु सलान तकमीलन शामिल किया जावे। यदि मैंने खतबंदार काबलकार शामिल किया जाता है इसी अनुसार राजस्थान डिप्टी में अंकन करने हेतु इंजिनियर का नाम कलमजबन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तो 4 बहिब के 1/5 हिस्सा मैंने वर्तमान राजस्थान डिप्टी में वादी के पिता इंजिनियर के नाम से दर्ज है मैं से 1/5 हिस्सा शर्मा लखान के खाता संख्या 180/178 के कुल 7.5880हैव मैं से 4216हैव मैं से 1/5 हिस्सा, शर्मा मौजा बंससर के खाता संख्या 32 की कुल 5.9684हैव मैं 27/25 की कुल 2.7440हैव व शर्मा मौजा सहजासर के खाता संख्या 207 की कुल 8. संख्या 71/55 की कुल 8.1060हैव मैं से 1/5 हिस्सा, शर्मा मौजा मंगोई के खाता संख्या कारण बाद वादी डिप्टी किया जाकर शीषणा की जाती है कि शर्मा मौजा जोजासर के खाता पर बाद वादी साक्ष्य सचुती एवं प्रतिवादीमण की सहमति के आधार पर साबित होने के अतिवर्ता वादी एवं प्रत्येकर राज की उपस्थिति में अंतिम निपटार/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने

आज यह वाद मुझ शर्मा कौर उपखण्ड अधिकांश (राजस्थान) नोहर के समक्ष
राजस्थान वाद संख्या 686 संन 2019 निर्णय दिनांक-03/03/2020
वाद अन्तगत धारा 88, राजस्थान काबलकारी अधिनियम 1955

- प्रतिवादीमण
- 1 शीषणम शर्मा 2 गीपीराम 3 महेशचन्द 4 कल्याण पुत्रमण इंजिनियरम जाति ब्रह्मण
 - निवासी जोजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
 - 5 गीगादी पत्नी इंजिनियरम जाति ब्रह्मण निवासी गुरे तहसील शिवानी
 - 6 कुलवती पुत्री इंजिनियरम पत्नी सरजीत जाति ब्रह्मण निवासी गुरे तहसील शिवानी
 - 7 गीगा पुत्री इंजिनियरम पत्नी महेशचन्द जाति ब्रह्मण निवासी गुरे तहसील शिवानी।
 - 8 सुमिजादी पुत्री इंजिनियरम पत्नी काग्यराम जाति ब्रह्मण निवासी श्री गंगानगर
 - 9 शिवला देवी पुत्री इंजिनियरम पत्नी कमलेश कृष्णर जाति ब्रह्मण निवासी 3 एकवी
 - 10 सुमन पुत्री इंजिनियरम पत्नी सुभाषचन्द जाति ब्रह्मण निवासी विजयनगर जिला श्री
 - गंगानगर
 - 11 राजस्थान सरकार जाये तहसीलदार राजस्थान नोहर जिला हनुमानगढ।
 - 12 राजस्थान सरकार जाये तहसीलदार राजस्थान सरदारशहर
 - 13 राजस्थान सरकार जाये तहसील राजस्थान शिवसर।

बनाम

वादी

- हनुमानगढ।
1. बनवारीलाल पुत्र इंजिनियरम जाति ब्रह्मण निवासी जोजासर तहसील नोहर जिला

अनवान :-

न्यायालय स्टांप एवं उपखण्ड अधिकांश नोहर
 (आर्दर 20, कुल 6-7 जागा दिवानी)

पर्वी डिप्टी